हर–इंसान, एक–समान | एक राष्ट्र–एक–जान | मेरा भारत महान

अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय – जी–3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9–10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर
website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

रामनिरंजन गौड
प्रदेश महासचिव (पदेन संरक्षक)

ललित चाचान
प्रदेश कोषाध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

श्री थावर चन्द डोडा
संरक्षक,
मो. 9929160579

विक्रम कटारा
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 9929652290

डा0 नारायण लाल निनामा
महासचिव
मो. 9982556464

लक्ष्मीनारायण धानका
महासचिव
मो. 9950750063

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
आनन्दी लाल डादी
मो. 9414212600

बीकानेर :
मदन लाल भील
मो. 9829020737

भरतपुर :
रामजीलाल कोली
मो. 9414689980

जयपुर :
भोरीलाल देराण
मो. 9928956866

जोधपुर :
सुखदेव भील
मो. 9928341925

कोटा :
कालू लाल भील
मो. 7726914880

उदयपुर :
सुरेश लक्खा
मो. 9602319177

क्रमांक 9914-10702 दिनांक : 25.10.2015

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी साहेब
प्रधान मंत्री महोदय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः– राजस्थान सरकार की अविधिक सिफारिश को अस्वीकार करने बाबत।
संदर्भः– सामान्य वर्ग के मीणा (Meena) समुदाय को बैकडोर एण्ट्री से एसटी बनाने का प्रयास।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आप यह भली प्रकार जानते है राजस्थान राज्य के केवल 25 लाख की आबादी वाला सामान्य वर्ग का मीणा समुदाय अब तक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को आरक्षण के जरिये दी जाने वाली लाखों नौकरियाँ अविधिक रूप से हड़प चुका है। इस कारण आजादी के 68 वर्षों बाद भी भूख और बदहाली से त्रस्त बहुत से आदिवासी नक्सलवाद का रास्ता अपनाने को मजबूर हो रहे है।

आप यह भी जानते है कि किसी जाति या समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से पहले पूरी जांच एवं संख्यात्मक आंकड़ों से निम्न पांच शर्तें प्रमाणित करना अनिवार्य है:–

1. आदिम प्रवृतियों का संकेत (Indications of primitive traits)
2. विशिष्ठ संस्कृति (Distinctive culture)
3. भौगोलिक अलगाव (Geographical isolation)
4. समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच और
   (Shyness of contact with the community at large and)
5. पिछड़ापन (Backwardness)

उक्त तथ्य को प्रमाणित करने वाले जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र कमांक 16016/6/2011–सीएण्डएलएम–1(राजस्थान) दिनांक 13/26 जून, 2013 की फोटो प्रति संलग्न है। यह सर्वविदित तथ्य है कि राजस्थान में सामान्य वर्ग का मीणा समुदाय एक सशक्त जमींदार समुदाय है जिसके अनेक राजा–महाराजा और डायनेस्टीज का उल्लेख इतिहास में दर्ज है। इस मीणा समुदाय की जनसंख्या का 1(एक) प्रतिशत भाग भी उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं करता है।

आपकी जानकारी में राजस्थान सरकार का पत्र कमांक एफ.11(45)(4)RTI/R&P/SJED/2013/80647 दिनांक 27.11.2013 की फोटो प्रति संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने मीणा (Meena) समुदाय को या मीना (Mina) समुदाय को कभी भी एसटी की सूची में शामिल करने की अभिशंषा नहीं की है। इससे प्रकटतः प्रमाणित होता है कि राजस्थान सरकार द्वारा आज तक यह जांच किसी निष्पक्ष स्वतंत्र एजेन्सी से नहीं करवायी गयी है कि मीणा (Meena) समुदाय एसटी की विशेषता रखता भी है या नहीं।

(लगातार ——2)

अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय – जी–3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9–10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर
website : www.samtaandolan.co.in　　e-mail : samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

रामनिरंजन गौड
प्रदेश महासचिव (पदेन संरक्षक)

ललित चाचान
प्रदेश कोषाध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

श्री थावर चन्द डोडा
संरक्षक,
मो. 9929160579

विक्रम कटारा
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 9929652290

डा0 नारायण लाल निनामा
महासचिव
मो. 9982556464

लक्ष्मीनारायण धानका
महासचिव
मो. 9950750063

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
आनन्दी लाल डाढी
मो. 9414212600

बीकानेर :
मदन लाल भील
मो. 9829020737

भरतपुर :
रामजीलाल कोली
मो. 9414689980

जयपुर :
भोरीलाल देराण
मो. 9928956866

जोधपुर :
सुखदेव भील
मो. 9928341925

कोटा :
कालू लाल भील
मो. 7726914880

उदयपुर :
सुरेश लक्खा
मो. 9602319177

क्रमांक　　दिनांक :

(2)

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के मीणा (**Meena**) समुदाय के दवाब में आकर केवल वोटों की खातिर उन्हें बिना किसी जाचं पड़ताल के 'मीना' (**Mina**) समुदाय के समान बताना माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन है तथा भारत देश के 10 करोड़ आदिवासियों के साथ अन्याय है।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लिखी गयी चिठ्ठी (जिसमें मीणा समुदाय एवं मीना समुदाय को तथाकथित रूप से एक बताया गया है) को अस्वीकार किया जावे तथा राजस्थान सरकार को निर्देश दिये जावें कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली किसी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेन्सी से संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर यह जांच करावें कि मीणा समुदाय उपरोक्त पांचों मानदण्ड पूरा करता भी है या नहीं। जांच निष्कर्षों को समुचित रूप से प्रकाशित करके आपत्तियॉं मांगी जावे उसके बाद यदि मीणा समुदाय एसटी प्रमाणित होता है तो उसे पृथक से एक एसटी समुदाय के रूप में जोड़ने की अभिशंषा की जावे ताकि केन्द्र सरकार निर्धारित प्रकिया के अधीन एसटी आयोग, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया से जांच करवा कर केबिनेट अनुमोदन के बाद संसद में संशोधन अधिनियम प्रस्तुत करके मीणा समुदाय को एसटी की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर सके। तब तक मीणा समुदाय को एसटी वर्ग को कोई लाभ नहीं दिया जावे।

सादर,

भवदीय

(कालूलाल भील)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– सभी सम्मानित सांसदों को असली आदिवासियों के हितार्थ सहयोग पूर्ण कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

कालूलाल

(कालूलाल भील)
अध्यक्ष